

# न्यायालय तहसीलदार जसवंतपुरा

मुकदमा नंबर 09/2016

राजस्थान सरकार जरिये बनाम  
पटवारी हल्का जसवंतपुरा


गैरसायल  
श्री संकाराम पुत्र श्री वनाराम  
श्री हंसाराम पुत्र श्री वगताराम  
जाति माली निवासी जसवंतपुरा

निर्णय

दिनांक:-04.10.2016

पत्रावली पेश हुयी। गैरसायल हाजिर। पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का जसवंतपुरा व निरीक्षक भू0अ0 जसवंतपुरा ने रिपोर्ट पेश की कि गैरसायल ने संवत 2073 में मौजा जसवंतपुरा के खसरा नंबर 297 रकबा 0.17 हेक्टर किस्म चाही दोयम में अनाधिकृतरूप से बाजरी की फसल बोकर काशत कर कब्जा किया है। जिस पर गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायल ने अपने जबाव में कोई दस्तावेजी साक्ष्य या अन्य कोई सबूत पेश नहीं किये, नहीं पेश करना चाहता है जिससे यह साबित होता है कि गैरसायल ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया है।

अतः राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 (1) के तहत संवत 2073 में मौजा जसवंतपुरा के खसरा नंबर 297 रकबा 0.17 हेक्टर किस्म चाही दोयम अतिक्रमी घोषित किया जाकर बाजरी की फसल को कुर्ककर निलाम करने व अतिक्रमि रकबे से भौतिकरूप से बेदखली के आदेश दिये जाते है साथ ही अतिक्रमि रकबे पर भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 (3) तहत का वार्षिक लगान 4.25 का 50 गुणा रू0 213/- अक्षरे दो सौ तेरह रूपये मात्र बतौर जुर्माना आरोपित किया जाता है। निरीक्षक (भू.अ.) जसवंतपुरा, पटवारी हल्का जसवंतपुरा को भौतिकरूप से बेदखल करने एवं जुर्माना कायमी हेतु लिखा जाये।  
आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

  
तहसीलदार जसवंतपुरा  
जिला जालोर (राज.)  
तहसीलदार, जसवंतपुरा